न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : धारा सिंह मीना, RAS

अपील संख्या 197/2015

1 अणची पुत्री हनुमान पत्नी गणेश जाति धोबी निवासी जोधपुरा तहसील उदयपुरवाटी जिला झुंझुनू।

अपीलांट

बनाम

1 दुर्गादत पुत्र रामप्रताप।
2 रामदेव पुत्र रामप्रताप।
3 निरंजन पुत्र रामप्रताप।
4 उर्मिला पत्नी मुरारीलाल।
5 विकास पुत्र मुरारीलाल समस्त जाति ब्राहम्ण निवासीगण टीटनवाड़ तहसील उदयपुरवाटी जिला झुंझुनू।
6 राजु पुत्र ओमा।
7 घड़सी पुत्र हणमान।
8 गुलाबी पत्नी हणमान।
9 मृतक हेमाराम पुत्र चुन्नाराम।
9/1 कमला पत्नी हेमाराम।
9/2 सुनिल पुत्र हेमाराम।
9/3 अनिल पुत्र हेमाराम।
9/4 सुनिता पुत्री हेमाराम।
9/5 अनिता पुत्री हेमाराम।
9/6 जीतु पुत्री हेमाराम समस्त जाति धोबी निवासीगण टीटनवाड़ तहसील उदयपुरवाटी जिला झुंझुनू।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनू)

10 सीताराम पुत्र भोलुराम जाति हरिजन निवासी टीटनवाड़ तहसील उदयपुरवाटी जिला झुंझुनू।
11 तहसीलदार तहसील उदयपुरवाटी जिला झुंझुनू।

रेस्पोडेंट

अपील बखिलाफ निर्णय व डिक्री उपखण्ड
अधिकारी उदयपुरवाटी प्रारम्भिक निर्णय व डिक्री
दिनांक 18.04.2013 व अन्तिम निर्णय व डिक्री दिनांक
24.09.2013 मुकदमा उनवानी दुर्गादत आदि बनाम
राजु वगैरह मुकदमा नम्बर 122/2010

अपील संख्या 210/2015

1 सन्तोष देवी पुत्री हनुमान पत्नी भींवाराम जाति धोबी निवासी जोधपुरा तहसील उदयपुरवाटी जिला झुंझुनू।

अपीलांट

बनाम

1 दुर्गादत पुत्र रामप्रताप।
2 रामदेव पुत्र रामप्रताप।
3 निरंजन पुत्र रामप्रताप।

4 उर्मिला पत्नी मुरारीलाल।
5 विकास पुत्र मुरारीलाल समस्त जाति ब्राह्मण निवासीगण टीटनवाड़ तहसील उदयपुरवाटी जिला झुंझुनू।
6 राजु पुत्र ओमा।
7 घड़सी पुत्र हणमान।
8 गुलाबी पत्नी हणमान।
9 मृतक हेमाराम पुत्र चुन्नाराम।
9/1 कमला पत्नी हेमाराम।
9/2 सुनिल पुत्र हेमाराम।
9/3 अनिल पुत्र हेमाराम।
9/4 सुनिता पुत्री हेमाराम।
9/5 अनिता पुत्री हेमाराम।
9/6 जीतु पुत्री हेमाराम समस्त जाति धोबी निवासीगण टीटनवाड़ तहसील उदयपुरवाटी जिला झुंझुनू।
10 सीताराम पुत्र भोलुराम जाति हरिजन निवासी टीटनवाड़ तहसील उदयपुरवाटी जिला झुंझुनू।
11 तहसीलदार तहसील उदयपुरवाटी जिला झुंझुनू।

रेस्पोडेंट

अपील बखिलाफ निर्णय व डिक्री उपखण्ड अधिकारी उदयपुरवाटी प्रारम्भिक निर्णय व डिक्री दिनांक 18.04.2013 व अन्तिम निर्णय व डिक्री दिनांक 24.09.2013 मुकदमा उनवानी दुर्गादत आदि बनाम राजु वगैरह मुकदमा नम्बर 122/2010

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनू)

उपस्थिति :

1. श्री विनोद गिल, अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री अमित शर्मा, अधिवक्ता रेस्पोडेंट
3. श्री जयप्रकाश पूनियां, अधिक्ता रेस्पोडेंट

—निर्णय—

दिनांकः— 10.11.22

यह दोनों अपीले विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी उदयपुरवाटी द्वारा मुकदमा नम्बर 122/2010 में पारित निर्णय दिनांक 18.04.2013 एवं 24.09.2013 के विरूद्व प्रस्तुत हुई है। दोनों अपीलों में विवादित भूमि एवं पक्षकार समान होने से दोनो का निस्तारण एक ही आदेश से किया जा रहा है। निर्णय की प्रतियां दोनों पत्रावलियों में पृथक–पृथक रखी जावें।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि विचारण न्यायालय में वादी दुर्गादत, रामदेव, निरंजन,उर्मिला, विकास की ओर से प्रतिवादी राजु, घड़सी, गुलाबी, हेमाराम,सीताराम के विरूद्व वाद घोषणा, स्थायी निषेधाज्ञा व दुरूस्ती रिकार्ड बाबत भूमि खसरा नम्बर गत 575 हाल 281,286 वाके ग्राम टीटनवाड़ तहसील उदयपुरवाटी प्रस्तुत किया। विचारण न्यायालय ने बाद सुनवाई दिनांक 18.04.2013 को प्राथमिक डिक्री एवं दिनांक 24.09.2013 को अन्तिम डिक्री पारित की गई है। इन दोनों प्राथमिक एवं अन्तिम डिक्री के विरूद्व हणमान की पुत्री अणची व संतोष की ओर से प्रथक–प्रथक अपीले धारा 96 व धारा 5 के साथ प्रस्तुत की गई है।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि विचारण न्यायालय में वादीगण ने प्रतिवादी के रूप में हणमान के पुत्र एवं पत्नी को ही पक्षकार संयोजित किया है। हणमान की पुत्रियों को पक्षकार

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर(कैम्प झुन्झुनूं)

संयोजित नही किया है। दौराने दावा हणमान की पत्नी गुलाबी का स्वर्गवास होने पर भी उसकी पुत्रियों को रिकार्ड पर नही लिया गया है। ऐसी स्थिति में मृत व्यक्ति के विरूद्ध पारित निर्णय व डिक्री विधि सम्मत नही है। अपीलांट प्रभावित पक्षकार है। जानकारी से अन्दर मियाद अपील धारा 5 के आवेदन के साथ प्रस्तुत की गई है। अपील स्वीकार की जाकर प्रकरण रिमाण्ड किया जावें।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेंट ने तर्क दिया कि विचारण न्यायालय में हनुमान के वारिसान पुत्र घड़सी व पत्नी गुलाबी को पक्षकार बनाया गया था। हणमान की मृत्यु सन् 2005 से पूर्व हो चुकी थी। तत्समय तक पुत्रियों को पिता की सम्पती में अधिकार नही दिया गया था। विचारण न्यायालय में गुलाबी की मृत्यु होने पर दिनांक 13.07.2012 को गुलाबी का नाम हजब किया गया था। गुलाबी का पुत्र घड़सी पहले से रिकार्ड पर था। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय द्वारा मृत व्यक्ति के विरूद्ध निर्णय व डिक्री पारित नही की गई थी। विचारण न्यायालय के निर्णय के विरूद्ध किसी भी प्रतिवादी द्वारा अपील प्रस्तुत नही की गई है। अपीलांट प्रतिवादी संख्या 02 घड़सी की बहने है। विचारण न्यायालय की पत्रावली में अपीलांट की माता गुलाबी एवं अपीलांट के भाई घड़सी का तामील शुद्रा नोटिस संलग्न है। ऐसी स्थिति में यह नही माना जा सकता है कि अपीलांट को विचाराधीन वाद की जानकारी नही हुई हो। अपीलांट द्वारा विचारण न्यायालय के समक्ष कोई चारा जोही नही की गई है। प्रकरण के गुणावगुण के सन्दर्भ में पत्रावली के अवलोकन से जाहिर है कि विक्रय पत्र दिनांक 10.06.1968 के अनुसार ग्राम टीटनवाड़ की सरहद में स्थित भूमि खसरा नम्बर 575 तादादी 9 बीघा 15 बिस्वा में से हिस्सा 1/2 हनुमान पुत्र रेखा जाति धोबी हिन्दु निवासी टीटनवाड़ से क्रेता रामप्रताप पुत्र गिरधारीराम जाति ब्राहम्ण निवासी टीटनवाड़ से क्रय किया जाना साबित है। हिन्दु धोबी जाति को राजस्थान सरकार द्वारा दिनांक 27 जुलाई 1977 को अनुसुचित जाति की श्रेणी में शामिल किया गया है। प्रस्तुत प्रकरण में उक्त

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर(कैम्प झुन्झुनूं)

आदेश लागू होने से पूर्व वादीगण के पूर्वजों द्वारा सन् 1968 में जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के भूमि क्रय की गई थी। सन् 1968 में धोबी हिन्दु जाति अनुसूचित जाति की श्रेणी में शामिल नहीं थी। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय व डिक्री विधि सम्मत है। अपीलांट की अपील मियाद बाहर है। अपील खारिज की जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि विचारण न्यायालय में हनुमान के वारिसान पुत्र घड़सी व पत्नी गुलाबी को पक्षकार बनाया गया था। हणमान की मृत्यु सन् 2005 से पूर्व हो चुकी थी। तत्समय तक पुत्रियों को पिता की सम्पती में अधिकार नही दिया गया था। विचारण न्यायालय में गुलाबी की मृत्यु होने पर दिनांक 13.07.2012 को गुलाबी का नाम हजब किया गया था। गुलाबी का पुत्र घड़सी पहले से रिकार्ड पर था। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय द्वारा मृत व्यक्ति के विरूद्व निर्णय व डिक्री पारित नही की गई थी। विचारण न्यायालय के निर्णय के विरूद्व किसी भी प्रतिवादी द्वारा अपील प्रस्तुत नही की गई है। अपीलांट प्रतिवादी संख्या 02 घड़सी की बहने है। विचारण न्यायालय की पत्रावली में अपीलांट की माता गुलाबी एवं अपीलांट के भाई घड़सी का तामील शुद्वा नोटिस संलग्न है। ऐसी स्थिति में यह नही माना जा सकता है कि अपीलांट को विचाराधीन वाद की जानकारी नही हुई हो। अपीलांट द्वारा विचारण न्यायालय के समक्ष कोई चारा जोही नही की गई है। प्रकरण के गुणावगुण के सन्दर्भ में पत्रावली के अवलोकन से जाहिर है कि विक्रय पत्र दिनांक 10.06.1968 के अनुसार ग्राम टीटनवाड़ की सरहद में स्थित भूमि खसरा नम्बर 575 तादादी 9 बीघा 15 बिस्वा में से हिस्सा 1/2 हनुमान पुत्र रेखा जाति धोबी हिन्दु निवासी टीटनवाड़ से क्रेता रामप्रताप पुत्र गिरधारीराम जाति ब्राहम्ण निवासी टीटनवाड़ से क्रय किया जाना साबित है। हिन्दु धोबी जाति को राजस्थान सरकार द्वारा दिनांक 27 जुलाई 1977 को अनुसुचित जाति की श्रेणी में शामिल किया गया

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर(कैम्प झुन्झुनूं)

है। प्रस्तुत प्रकरण में उक्त आदेश लागू होने से पूर्व वादीगण के पूर्वजों द्वारा सन् 1968 में जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के भूमि क्रय की गई थी। सन् 1968 में धोबी हिन्दु जाति अनुसूचित जाति की श्रेणी में शामिल नहीं थी। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय व डिक्री विधि सम्मत है।

यहां यह भी विचारणीय है कि अपीलांट द्वारा विचारण न्यायालय द्वारा पारित प्राथमिक एवं अन्तिम डिक्री की एक ही अपील प्रस्तुत की गई है। विधि अनुसार प्राथमिक एवं अन्तिम डिक्री की प्रथक–प्रथक अपील करने का प्रावधान है। प्राथमिक एवं अन्तिम डिक्री की एक ही अपील विधि अनुसार पोषणीय नही है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट मियाद बाहर होने, गुणावगुण के आधार पर स्वीकार योग्य नही होने से खारिज की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 10.11.22 को सरे इजलास सुनाया गया।

(धारा सिंह मीना)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर